संख्या-435/2020/2625/22-2-2019-17(1085)/2019

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 12 अक्टूबर, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नफीस पुत्र श्री मुस्ताक, निवासी जनपद-मुरादाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक-06-08-2019 दिनांक 06-09-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नफीस पुत्र श्री मुस्ताक, शाहपुर, थाना-भोजपुर, जनपद-मुरादाबाद का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीनी रंजिश को लेकर दिनांक 21.05.2001 को 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचों, भाले व चाकू से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्याकारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-623/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 29.05.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.11.2018 तक 17 वर्ष 05 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 02 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध का समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाले अपराध की श्रेणी में आने, भविष्य में अपराध करने में सक्षम होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी नफीस (पुराना बन्दी संख्या-8644 नया-15460) पुत्र श्री मुस्ताक, निवासी जनपद-मुरादाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-435/2020/2625(1)/22-2-2019 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in